

हिन्दी प्रकोष्ठ
राजीव गांधी विश्वविद्यालय
रोनो हिल्स, दोईमुख

फाइल संख्या.आर.जी.यू/एच.सी/वयू.आर/2012/12

दिनांक/Date: 06/06/2024

परिपत्र/CIRCULAR

राजीव गांधी विश्वविद्यालय के विभागों/प्रकोष्ठों/शाखाओं को सूचित किया जाता है कि राजभाषा नियम के तहत हिन्दी प्रकोष्ठ को राजभाषा विभाग, शिक्षा गंत्रालय, गृह-गंत्रालय, यू.जी.री को राजभाषा हिन्दी के प्रयोग संबंधित विश्वविद्यालय का तिगाही प्रणति रिपोर्ट जमा करना होता है। अतः सभी संबंधित विभागों/प्रकोष्ठों/शाखाओं से अनुरोध है कि 2024 की द्वितीय तिगाही – अप्रैल, मई व जून 2024 का रिपोर्ट (भाग-I) सभी सूचनाओं शहित 10 जुलाई 2024 तक जमा करें। परिपत्र को केवल विभागाध्यक्ष के मेल पर ही प्रेषित किया जाएगा। उक्त प्रपत्र विश्वविद्यालय वेबसाइट (www.rgu.ac.in) में इस परिपत्र के साथ उपलब्ध होगा तथा भरा हुआ प्रपत्र हिन्दी प्रकोष्ठ को विभागीय ई-मेल द्वारा भी भेजा जा सकता है। छाया ई-मेल है-hindicell@rgu.ac.in

This is to inform all the Departments/cells/Branches of Rajiv Gandhi University that as per O.L Rule, quarterly progress report regarding use of Official Language Hindi in university is to be submitted to Dept. of O.L., ME, MHA, UGC through Hindi Cell. Hence, all concern are here by requested to submit Quarterly Report Proforma (part I) on or before 10th July 2024 along with all information regarding for the Second quarter i.e. for the month of April, May & June 2024. Circular will be sent to E-mail of Head of the Department only. Said proforma will be available in the university website (www.rgu.ac.in) with this circular and filled proforma can be submitted to Hindi Cell through email also. Our Email ID-hindicell@rgu.ac.in

यह कुलपति के अनुमोदन से जारी है।

This is issued with the approval of the Vice Chancellor.

फाइल संख्या.आर.जी.यू/एच.सी/वयू.आर/2012/12/.06

दस्ता/-
कुलसचिव/Registrar
दिनांक- 13.06.2024

प्रतिलिपि/Copyto:-

01. कुलपति के निजी सचिव को सूचनार्थ।
02. कुलसचिव के निजी सहायक को सूचनार्थ।
03. वित्त अधिकारी के निजी सचिव को सूचनार्थ।
04. परीक्षा नियंत्रक के निजी सहायक को सूचनार्थ।
05. सभी शाखा/प्रकोष्ठ/विभाग के प्रमुखों को सूचना एवं संप्रेषण हेतु।
06. पुस्तकालयाध्यक्ष (प्रभारी) को सूचना एवं संप्रेषण हेतु।
07. संयुक्त निदेशक (कंप्यूटर केन्द्र) को सूचना सहित विश्वविद्यालय वेबसाइट में अपलोड हेतु निवेदन।
08. कार्यालय प्रति
09. फाइल गार्ड

13/06/2024
(डॉ. राजीव रंजन प्रसाद)
हिन्दी अधिकारी (प्रभारी)

केंद्रीय सरकार के ग्रन्ति संस्कृति विभागी/संबद्ध व अधीनस्थ कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपचारी/स्वायत्त निकायों
मादि में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग से संबंधित तिगाही प्रगति रिपोर्ट

.....को संसद्ज तिगाही

भाग - I (प्रत्येक तिगाही में ग्रन्ति जाए)

कार्यालय का नाम और पूरा पता

संबंधित राजभाषा अधिकारी का फोन नं.: एस.टी.डी. कोड क्रोम नं. इ-ग्रेड

1. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के ग्रन्तीत जारी कागजात

- (अ) जारी कागजात की कुल संख्या
- (इ) दत्तेभाषी रूप में जारी कागजात को संख्या
- (ग) केवल अंग्रेजी में जारी गिरे गये कागजात

2. हिन्दी में प्राप्त पत्र (राजभाषा नियम - 5)

- (क) हिन्दी में प्राप्त कुल पत्रों की संख्या
- (छ) इनमें से कितनों के उत्तर हिन्दी में दिए गए
- (ग) इनमें से कितनों के उत्तर अंग्रेजी में दिए गए
- (घ) इनमें से कितनों के उत्तर दिए जाने अपेक्षित नहीं थे

3. अंग्रेजी में पाप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिए जाने की स्थिति (केवल 'क' एवं 'ख' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के लिए)

अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों की संख्या	इनमें से कितनों के उत्तर हिन्दी में दिए गए	इनमें से कितनों के उत्तर अंग्रेजी में दिए गए	इनमें से कितनों के उत्तर अपेक्षित नहीं थे
1	2	3	4
'क' क्षेत्र से			
'ख' क्षेत्र से			

4. भेजे गये गूल पत्रों का ब्यौरा

	हिन्दी में	अंग्रेजी में	भेजे गए पत्रों की कुल संख्या
	1	2	3
'क' क्षेत्र को			
'ख' क्षेत्र को			
'ग' क्षेत्र को			

5. (तिगाही के द्वारा) फाइलों/दस्तावेजों पर लिखी गई टिप्पणियाँ

हिन्दी में लिखी गई टिप्पणियों के पृष्ठों की संख्या

अंग्रेजी में लिखी गई टिप्पणियों के पृष्ठों की संख्या

कुल टिप्पणियों के पृष्ठों की संख्या

• पृष्ठों की संख्या की गणना पूरी तरफ एवं आधा अंक भी ही की जाए।

प्रियांकों के द्वारा पुरी भवित्वीय अनियंत्रित संवेदनशीलता का अधिकारी की कृत सुलगा	प्रियांकों के द्वारा पुरी भवित्वीय अनियंत्रित संवेदनशीलता का अधिकारी की कृत सुलगा
1	2
3	

नोट : कार्यान्वय वे समस्त कार्यों को २ वर्ष में उत्तम रूप से कार्य प्रणिति किया जाना आवश्यक है।

7. विभागीय/संघर्षीय संवेदनशीलता कार्यान्वयन समिति की देखभाव के आधारजन की तिथि
(क्षेत्र संभवतः विभागीय समिति की देखभाव की तिथि)

- (अ) उत्तीर्णस्थ नियंत्रणों एवं सहित संवेदनशीलता उत्तीर्णस्थ नियंत्रणों की सुलगा
(ग) इस तिथियाँ जै आधारभूत वैठावों की सुलगा
(द) वैठावों से हितदृष्टि कार्यकृत वर्ता हितों से जारी किए गए ? हासाही

8. हिंदी सलाहकार समिति की वैठकों के आधारजन की तिथि
(क्षेत्र संघर्षीय/विभागीय के लिए)

9. तिथाही से विषय गण उत्तीर्णकानीय नवर्ष/उपलब्धियाँ का सहित सिवरण (विधिवत्तम 250 कैरेक्टर)

उल्लिखित सूचना उपलब्ध अधिकारियों के आधार पर बनाई गई है तथा मेरी जानकारी के अनुसार भी है।

संघर्षीय/विभागीय/संघठन के संवेदनशीलता कार्यान्वयन समिति के अधिकारी का समावेश

प्राप्ति

प्रतीक्षी कोई सुरक्षा घोषणा नहीं

प्राप्ति

प्रतीक्षी कोई सुरक्षा घोषणा नहीं

नोट : कोइं भी कोलम खाली न छोड़ जाए और दूसरा रूपरेखा रूप से दी जाए।

सिंगल के द्वारा पूर्ण भवानीय आवंटित समाज विशेषज्ञता को निम्न स्तराएँ	इनम् विशेषज्ञता कार्यक्रम की कुल संख्या
भवानीय	भवानीय
प्राथमिक	प्राथमिक
उच्च	उच्च

टीट : कार्यालय वे समाज की विभिन्न कोडों को ? वर्ष में वर्ष में कम या ज्यादा प्रतिस्थित किया जाना अवश्यक है।

7. विभागीय/राज्यालय समाज कार्यालय राजिति की दृष्टि के अन्तर्जन की लिखि

(क) राज्यालय विभिन्न विभिन्न की वैठक की विधि

(केंद्रीय परिवर्तन कार्यालय की)

(ब) अपीनरथ विभालयों की विभिन्न राज्यालय कार्यालयों विभिन्नों की संख्या

(ग) इस विभालयों में अपार्टमेंट वैठकों की संख्या

(द) वैठकों में संविधित कार्यसूचि और कार्यक्रम विभिन्न जारी किए गए ? हाजही

8. हिन्दी राजाहकार राजिति की वैठक के भवानीय की लिखि

(केंद्र गवालयों/विभागों के लिए)

9. विभालयों में किया गए उत्तरवाचीय विभालय/उपलब्धियों का प्रतिवेदन (अधिकारम् 250 के लिए)

उल्लिखित ऐसा उपलब्ध उपलब्धि के अधार पर बनाई गई है तथा गरी जानकारी के अनुसार गढ़ी है।

संचालन/विभाग/राज्यालय की समाज कार्यालय राजिति का अधिकार का रूप

प्राप्ति

प्राप्ति कोइ सुनिश्चित नहीं जाना

प्राप्ति नहीं

प्राप्ति की जाएँ

नोट : कोड़ मी कोलग खाती जा छोड़ जाए और दूसरा स्पष्ट रूप से दी जाए।

Quarterly Progress Report Regarding Progressive Use of Official Language Hindi
in Ministries/Departments/Attached and Subordinate Offices/PSUs/Autonomous
Bodies etc. of Central Government

Quarter ending on.....

Part - I (To be furnished at the end of each Quarter)

Name and full postal address of the Office _____

Phone No. of the Concerned Official Language Officer : STD Code _____ Tel. No. _____ E-Mail _____

1. Documents issued under section 3(3) of Official Languages Act, 1963

- (a) Total no. of documents issued _____
- (b) Total no. of documents issued bilingually _____
- (c) Documents issued in English only _____

2. Letters received in Hindi (Official Languages Rule 5)

- (a) Total no. of letters received in Hindi _____
- (b) How many letters replied against these in Hindi _____
- (c) How many letters replied against these in English _____
- (d) No. of letters not expected to be replied _____

3. Status regarding letters received in English & replied in Hindi (Applicable to offices located in 'A' & 'B' region)

No. of letters received in English	How many letters replied against these in Hindi	How many letters replied against these in English	No. of letters not expected to be replied
1	2	3	4
From region 'A'			
From region 'B'			

4. Details of original letters issued

	In Hindi	in English	Total No. of letters issued
	1	2	3
To Region 'A'			
To Region 'B'			
To Region 'C'			

(During quarterly) number of Notings on files/documents*

No. of pages with Notings in Hindi

No. of pages with Notings in English

No. of pages of total Notings

Counting of no. of pages should be done in full marks and half marks only.

668

508

Hindi Workshops

Number of full-day workshops conducted during the quarter	Total no. of officials trained in these workshops	
	Officers	Employees
1	2	3

Note : All the personnel of the office should be imparted training at least once in 2 years.

7. Date of the meeting of the Departmental/Organizational Official Language Implementation Committee _____

(a) Date of the meeting of Official Language Implementation Committee (Central / Head office) _____

(b) No. of Official Language Implementation Committee constituted in subordinate office _____

(c) No. of meetings organized in this quarter _____

(d) Whether the agenda or the minutes of the meeting were issued in Hindi ? Yes / No _____

8. Date of the meeting of the Hindi Advisory Committee :
(For Ministries/ Departments only) _____

9. Brief description of the outstanding work/achievements during the quarter (maximum 50 characters)

The above said information has been prepared on the basis of available records and is true to my knowledge.

Name of the Chairperson of the O.L.I.C of Min./Dep./Org. _____

Designation _____

Telephone No. with STD Code _____

Fax No. _____

E-mail address _____

Note: No column should be left blank and information should be given distinctly.